

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2023

सा.का.नि.(अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, जिसे सा.का.नि. 551(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के हिंदी संस्करण में, पृष्ठ 11 पर, -

- (i) पंक्ति 27 में, ' 'प्रकाशित विदेश व्यापार नीति, 2023" ' के स्थान पर ' प्रकाशित "विदेश व्यापार नीति, 2023" ' पढ़ें;
- (ii) पंक्ति 30 में, "हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय, प्रोसीजर्स ' के स्थान पर ' "हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय, ' पढ़ें।

[फा.सं. 190354/133/2023-टिआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार